

लोक प्राधिकार की बाध्यताएं
प्रशाखा-10, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

(1)	संस्थाओं के कार्य, कर्तव्य एवं अन्य ब्यौरा।	इस प्रशाखा से संबंध नहीं है।
(2)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति तथा कर्तव्य।	सारी शक्तियाँ कृषि निदेशक में समाहित हैं तथा उनके आदेशों का अनुपालन कर्मचारियों का कर्तव्य है।
(3)	संस्थान में निर्णय करने संबंधी अधीक्षण और उत्तरदायित्व संबंधी प्रक्रिया।	सारी शक्तियाँ कृषि निदेशक में समाहित हैं तथा उनके आदेशों का अनुपालन कर्मचारियों का कर्तव्य है।
(4)	कार्य करने के लिए स्वीकृत मापदंड।	समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र।
(5)	अपने कार्य के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, आदेशों अभिलेखों एवं संहिताओं का विवरण।	बाढ़ से बर्बाद फसल क्षतिपूर्ति हेतु प्रभावित किसानों को राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से अनुदान वितरण संबंधी परिपत्र सं० 7944/23.10.2008 एवं आपदा प्रबंधन विभाग का परिपत्र सं० 2462/12.08.2007 की छायाप्रति संलग्न है।
(6)	विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सूची तैयार करना।	अनुपयुक्त।
(7)	निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसाधारण जनता से सलाह / मशविरा लेने की कोई व्यवस्था है तो उसका ब्यौरा।	इस प्रशाखा के लिए लागू नहीं।
(8)	न्यास परिषद, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों, उसका उल्लेख। ये बैठकें सर्वसाधारण के लिए खुली है या नहीं, इनका कार्य विवरण जनता की उपलब्ध है या नहीं, उनका पूर्ण विवरण।	इस प्रशाखा के लिए लागू नहीं।
(9)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्ट्री।	1. श्री नरेश प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी-10 2. श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक 3. श्री अशोक कुमार, सहायक 4. श्रीमती वीणा, पदचर
(10)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन तथा मुआवजा की कोई व्यवस्था, यदि नियम में हो तो उसका ब्यौरा।	इस प्रशाखा से संबंध नहीं है।
(11)	अपने विभिन्न एजेन्सियों के लिए निर्धारित बजट, योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित खर्च और भुगतान की गयी रकम का ब्यौरा।	इस प्रशाखा से संबंध नहीं है।
(12)	अनुदान कार्य[मों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं लाभान्वितों की सूची।	क्रमांक(5) के प्रतिवदेन में विभागीय परिपत्रों की चर्चा की गई है।
(13)	विभाग द्वारा दिए गए रियात, परमिट या अधिकार पत्र पानेवालों का विवरण।	इस प्रशाखा से संबंध नहीं है।
(14)	उक्त सभी सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराना।	उप कृषि निदेशक, सूचना-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, कृषि निदेशालय से संबंध है।

(15)	जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं , इंटरनेट, पुस्तकालय या अन्य व्यवस्था का पूर्ण विवरण।	उप कृषि निदेशक, सूचना-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, कृषि निदेशालय से संबंध है।
(16)	विभाग के जन सूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।	श्री आभांशु सी0 जैन, उप कृषि निदेशक, सूचना सह-लोक सूचना पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।
(17)	सरकार द्वारा प्रावधानित कोई अन्य सूचना या विवरण। इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना।	श्री आभांशु सी0 जैन, उप कृषि निदेशक, सूचना सह-लोक सूचना पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।